न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 39 / 2024
जीसीएमएस : 2024 / 343

01. अरविन्द कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —प्रार्थी

बनाम

1. शक्ति पुत्र शिवकुमार जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. श्योपत पुत्र शिवकुमार जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—29.10.2024

उपस्थित अधिवक्ता:—

1. श्री सन्त कुमार बिश्नोई प्रार्थी अधि.।
2. श्री राजाराम धारणियां अप्रार्थी अधि.।

—–निर्णय–— दिनांक 25.04.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके 1 एम के बी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 44 का पं.सं. 123 / 297 में 1.5810 है. में मुझ प्रार्थी के नाम से नहरी रकबा है एवं इसी चक के मु.नं. 45 पं.सं. 24 / 297 का कि.नं. 13 / 1 में 0.1260 है., कि.नं. 14 में 0.253 है., कि.नं. 15 / 2 में 0.2400 है. व कि.नं. 16 / 1 में 0.1590 कुल 0.7780 है. नहरी रकबा जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के नाम से है जिसका मौका पर कब्जा अप्रार्थी के पास चला आ रहा है प्रार्थी को अपने उक्त रकबा मु.नं. 44 में आने—जाने के लिये रास्ता इसी चक का रकबा जो कि अप्रार्थीगण के नाम से मु. नं. 45 का कि.नं. 16 में 20 फुट गुणा 20 फुट कोर्नर उतरी पूर्वी कोना में स्वीकृत करवाना चाहता है ताकि मुझ प्रार्थी द्वारा अपने उक्त रकबा में आना जाना किया जा सके। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को पक्षकार राजस्व रिकार्ड होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र न्यायालय में अन्दर मियाद एवं पूर्ण कोर्ट फिस पर पेश है प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के रकबा वाके चक 1 एम.के.बी. तहसील रायसिंनगर का मु.नं. 44 में आने जाने एवं क[illegible] मु.नं. 45 का कि. नं. 16 में 20 फुट गुणा 20 फुट [illegible] उतरी पूर्वी कोना को जरिये सहमती शप[illegible] ताकि प्रार्थी अपने रकबा मु.नं. 44 में [illegible] काश्त किया जा सके।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज र[illegible] अप्रार्थीगण को जरिये र[illegible] नोटिस तलब किया गया एवं तहसी[illegible]र रायसिंहनगर से मौ[illegible] जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की ओर से राजाराम धारणियां अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित किया है प्रार्थी शरारती, झगडालू व शिकायती प्रवृति का व्यक्ति है। मुरब्बा नं. 45 के कि.नं. 16 में हम अप्रार्थीगण की 0.159 है. भूमि ही है। इस कि.नं. की शेष भूमि अन्य व्यक्ति के नाम से खातेदारी है। प्रार्थी के पास मु.नं. 45 के कि.नं. 15 में स्थित रास्ता से अपने मुरब्बा नं. 44 के कि.नं. 20 में प्रवेश के लिए मु.नं. 44 के कि.नं. 11 के कोना में 1 गठा अर्थात 16.5 इन्टू 16.5 वर्गफुट जगह में मु.नं. 44 के कि.नं. 11 के खातेदार को रास्ता के एवज में भूमि देकर रास्ता लिए जाने का विकल्प है तथा यही विकल्प सब प्रकार से उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता के बदले में कोई विलल्प नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिजी है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/505 दिनांक 10.03.2025 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम चक 1 एमकेबी पं.नं. 123/297 मु.नं. 44 के कि.नं. 16 ता 25 कुल 2.518 है. नहरी भूमि अरविन्दकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। अप्रार्थीगण के नाम चक 1 एम.के.बी के पं.नं. 124/297 मु.नं. 45 के कि.नं. 13/1, 14, 15/2, 16/1 की 0.778 है. नहरी तथा पं.नं. 125/295 मु.नं. 36 के कि.नं. 1/1, 1/2, 5/1, 5/2, 6, 10, 15, 16, 24/1 की 1.506 है. नहरी मय खाला भूमि शक्ति–श्योपत पि. शिवकुमार जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपने रकबे में आवागमन हेतु मु.नं. 45 के कि.नं. 16 मे 20 गुणा 20 फुट उत्तर पूर्वी कॉर्नर पर रास्ता की मांग की है। अतःप्रार्थीगण को अपने रकबे में आवागमन हेतु चक 1 एमकेबी के पं.नं. 124/297 मु.नं. 45 के कि.नं. 16 में 20 गुणा 20 फीट उत्तर पूर्वी कॉर्नर रास्ता को प्रस्तावित किया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृतशुद्दा रास्ता से अन्य निकटतम रास्ता नहीं है उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फार्म नं. 3 के साथ अप्रार्थीगण के द्वारा शपथ पत्र सहमति पत्र दिनांक 30.09.2022 प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित है कि जब तक चक 1 एम.के.बी. के मु.नं. 45 के कि.नं. 16 में रास्ता स्वीकृत नहीं होता है तब तक अरविन्द्र कुमार को आने–जाने व अपने रकबे में कृषि कार्य करने व कृषि यंत्र तथा फसल पैदावार लाने व ले जाने हेतु आवागमन कर सकेगा जिसको लेकर हम मिकरान किसी प्रकार की आपत्ति व एतराज नहीं करेगें।

5. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि में [illegible] वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रा[illegible] रकार के नियमानुसार राशि का भुगतान [illegible] रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट में स्प[illegible] कि उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये चाहे गये [illegible] जाना उचित है प्रार्थी को खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई [illegible]कल्पिक रास्ता भी नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर को गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित कथनों को दोहराया। कि प्रार्थी के पास मु.नं. 45 के कि.नं. 15 में स्थित रास्ता से अपने मु.नं. 44 के कि.नं. 20 में प्रवेश के लिए मु.नं. 44 के कि.नं. 11 के कोना में 16.5 इन्टू 16.5 वर्गफुट जगह में मु. नं. 44 के कि.नं. 11 के खातेदार को रास्ता के एवज में भूमि देकर रास्ता लिए जाने का विकल्प हैं तथा यही विकल्प सब प्रकार से उचित है प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता के बदले में कोई विकल्प नहीं दिया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करने की अनुशषां तहसीलदार द्वारा की गई हैं प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है व अप्रार्थीगण के शपथ पत्र दिनांक 30.09.2022 के द्वारा प्रस्तावित रास्ता हेतु सहमति भी दी गई। उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क भूमि के बदले डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर वाके **चक 1 एमकेबी के पं.नं. 124/297 मु.नं. 45 के कि.नं. 16 में 20 गुणा 20 फीट उत्तर पूर्वी कॉर्नर पर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी से डीएलसी दर की दुगुनी राशि जाम करवाये व अप्रार्थीगण को भुगतान करें। गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जा[illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

[illegible] (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ रायसिंहनगर ★

AnyScanner